Office Legislative Council Uttar Pradesh
Council House Lucknow

No. 2131 / V.P.- 64 (Estt.) /18 Dated: 27 November, 2018

Notification

Applications are invited from Indian Citizens for appointment on the post of Principal Secretary in Legislative Council in accordance with following details:-

1. Name of the Post - Principal Secretary
2. Payscale - Rs. 1,82,200-2,24,100 (pay-matrix-level-15)
3. Age limit - Not below than 35 years and not more than 55 years.
   (i) If a retired person is considered for selection for the post of principal secretary, the maximum age limit of 55 years shall not be applicable.
   (ii) Relaxation in maximum age limit will be given to reserved class candidates as per State Government, which will be applicable at the time of selection.
4. Educational Qualification - A degree in law of any university established by law in India and officer of the Higher Judicial Service whether serving or retired or having working experience of minimum 10 years as an Advocate or officer in the Secretariats of the Parliament or of any State Legislature or in Law Department of the Union or any State Government. Preference shall be given to those who have practical experience of working in law and legislative department or parliamentary affairs department in the Government of Uttar Pradesh or who have working experience of parliamentary affairs.
5. Process of selection will be completed in accordance with the rule 6 of the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat Service (Recruitment and Conditions of Service) (Third Amendment) Rules, 2018.
6. Character - A person will be declared ineligible for Selection/Appointment on the said post on following factors :-
   (a) Conviction has been proved for any crime and sentenced for any moral turpitude.
   (b) Declared bankrupt, or
   (c) Mentally retarded declared by the competent court.
   (d) Removed or Dismissed from the services of State Government or State owned Corporations.
   (e) Any other ineligibility which will be declared by the Government.
7. The decision of appointing authority will be final for eligibility or ineligibility of a person.
8. Format of Application form is available on Legislative Council's website www.upvidhanparishad.nic.in format of Application Form may also be obtained from the Honourable Chairman's office room no- 26 Main Council House Lucknow.

Duly filled applications must be reached by registered post to Honourable Chairman Legislative Council room no- 26 Main Council House Lucknow-226001 on or before 14 December, 2018.

Applications, not on prescribed format or incomplete or received after last date will be cancelled.

27.11.2018

(Devendra Kumar Gupta)
Special Secretary

(देवेन्द्र कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव
विधान परिषद, उ0प्र0

Format of Application form for the appointment on the post of Principal Secretary Legislative Council

Affix Self Attested Photograph

1. Advertisement / Notification No. -
2. Name of Post -
3. Name of candidate -
   (a) In Hindi -
   (b) In English, on capital letters -
4. Father / Husband's name -
5. (a) Date of Birth (with certificate) -
   (b) Age as on (01 July, 2018) - ....years..........months............days.
6. (a) Educational Qualifications -
   (b) Preferential Qualifications -
   (c) Specific Qualifications -
7. Address -
   (a) Permanent Address -
   (b) Correspondence Address -
   (c) Telephone Number -
   (d) Email Address -
8. Details of present / past appointments. Serving personnels will produce NOC from competent authority.
9. Category (Unreserved, Other Backward Class, Scheduled Caste and Scheduled Tribe.)
   Note : Caste certificate be attached incase of claim as reserved candidate.
10. If any punishment / adverse entry etc. is awarded to to serving / retired Government servant in service / after service by Appointing authority or Honourable Court. The details be given with date.
11. Any other detail as published research paper or any specific award given by State Government / Government of India, if any.

Date..................................... Signature of Candidate.............................
Place................................... Name of Candidate...................................

Declaration

I................................do hereby declare that (1) I have read carefully the conditions of eligibilty and accept those conditions and I fulfill those conditions. (2) All details / informations given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and I have not hidden any fact in these details / informations. If any detail / information is found false or incorrect, my candidature may be cancelled. If any such situation comes after appointment, my services be terminated. For this I will have no objection.

Signature of Candidate.............................
Name of Candidate...................................

कार्यालय विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
विधान भवन लखनऊ

संख्या-213/वि0प0-64(अधि.)/18 दिनांक 27 नवम्बर, 2018

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में प्रमुख सचिव के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु निम्न विवरण के अनुसार भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:-

1. पद का नाम – प्रमुख सचिव
2. वेतनमान– रू 1,82,200–2,24,100 (पे मैट्रिक्स लेवल–15)
3. आयु सीमा– 35 वर्ष से कम तथा 55 वर्ष से अधिक नहीं।
   (i) यदि प्रमुख सचिव के पद पर चयन हेतु सेवानिवृत्त व्यक्ति पर विचार किया जाता है तो 55 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
   (ii) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के भर्ती के समय प्रवृत्त प्राविधानों के अनुसार अधिक्तम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
4. शैक्षिक अर्हता– भारत में विंधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की विधि की स्नातक उपाधि तथा उच्चतर न्यायिक सेवा का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा अधिवक्ता के रूप में अथवा संसद अथवा किसी राज्य विधान मण्डल के सचिवालय अथवा संघ अथवा किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में अधिकारी के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। उन व्यक्तियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय एवं विधायी विभाग या संसदीय कार्य विभाग में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव रखते हों अथवा जो संसदीय कार्य करने का अनुभव रखते हों।
5. भर्ती की प्रकिया उत्तर प्रदेश, विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें)(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 के नियम 6 के प्राविधानुसार पूर्ण की जायेगी।
6. चरित्र–पद पर चयन/नियुक्ति हेतु निम्न कारण होने पर व्यक्ति अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा:–
   (क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या
   (ख) उन्मुक्त दिवालिया है, या
   (ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या
   (घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, या
   (ड.) ऐसी कोई अन्य निरर्हता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।
7. अभ्यर्थी के अर्ह अथवा अनर्ह होने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
8. आवेदन पत्र का प्रारूप विधान परिषद् की वेबसाइट www.upvidhanparishad.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप माननीय सभापति के कार्यालय कक्ष संख्या– 26 मुख्य विधान भवन लखनऊ से भी प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार निर्धारित आवेदन पत्र, पंजीकृत डाक से विलम्बतम् दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 तक, 'माननीय सभापति विधान परिषद् कक्ष संख्या– 26 मुख्य विधान भवन लखनऊ–226001' के पते पर पहुंच जाना चाहिये।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने अथवा निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

27.11.2018

(देवेन्द्र कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव

प्रमुख सचिव, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित आवक्ष फोटो चिपकायें।

1. विज्ञापन संख्या –
2. आवेदित पद का नाम –
3. अभ्यर्थी का नाम –
   (क) हिन्दी में –
   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में –
4. पिता/पति का नाम –
5. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित) –
   (ख) (01 जुलाई, 2018) को आयु – ....वर्ष...............माह....................दिन
6. (क) शैक्षिक अर्हताओं का विवरण –
   (ख) अधिमानी अर्हताओं का विवरण –
   (ग) विशिष्ट अर्हताओं का विवरण –
7. पता (क) स्थायी पता –
   (ख) पत्र व्यवहार का पता –
   (ग) दूरभाष संख्या –
   (घ) ई–मेल पता –
8. अभ्यर्थी वर्तमान/विगत नियुक्तियों का विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें इसके अतिरिक्त सरकारी सेवारत अभ्यर्थी सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
9. श्रेणी (अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) –
   नोटः आरक्षण का दावा किये जाने पर, प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
10. सेवारत्/सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को सेवाकाल में नियोक्ता अथवा न्यायालय द्वारा यदि कोई दण्ड, प्रतिकूल प्रविष्टि आदि प्रदान की गयी हो तो उसका तिथि सहित विवरण दिया जाय।
11. अन्य विवरण, यथा प्रकाशित शोध पत्र अथवा राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कोई विशिष्ट सम्मान आदि, यदि कोई हो –

तिथि.................................... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर...............................

स्थान.................................. अभ्यर्थी का नाम.....................................

घोषणा पत्र

मैं...घोषणा करता/करती हूँ कि – (1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ, वह मुझे मान्य हैं और वे शर्तें मैं पूरी करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है और मैंनें इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायें। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर...............................

अभ्यर्थी का नाम.....................................

२७.११.१८

Uttar Pradesh Shasan
Sansadiya Karya Anubhag-1

In pursuance of the provisions of the clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.__________ Dated 2018

Notification
No. 979 /90-S-2018-38S-2003
LUCKNOW : Dated 26 NOV. 2018

In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution, the Governor, in consultation with the Chairman of the Uttar Pradesh Legislative Council, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976: -

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE COUNCIL SECRETARIAT SERVICE (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) (THIRD AMENDMENT) RULES,2018

Short title and commencement

1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat Service (Recruitment and Conditions of Service) (Third Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 6

(a) 2- In the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976 here in referred to as the said rules :
for clause (i) set-out in Column I below, the clause as set out in Column II shall be substituted, namely:-

(i-A)

Column-I Existing clause	Column-II clause as here by substituted	
(i)**Principal Secretary**- By direct recruitment, by selection through the Commission.	(i)**Principal Secretary**- By direct recruitment, through a Selection Committee, constituted in accordance with the process prescribed by the Chairman, Provided that if eligible and suitable person is not available for direct recruitment, the post may be filled on deputation from the persons holding the educational and other qualifications mentioned in rule 10. The tenure of deputation shall be three years. The Selection Committee will be as follows :- (a) The Chairman Vidhan Parishad (b) Mantri Sansadiya Karya, Uttar Pradesh	 Chairman Member

	(c) One person belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, nominated by the Chairman if the Chairman or the member mentioned in sub-clauses (a) and sub-clauses (b) above does not belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If the Chairman or Member mentioned in sub-clauses (a) and sub-clauses (b) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes then one such person shall be nominated by the Chairman who does not belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or other backward classes.	Member
	(d) One person belonging to the other backward classes who shall be nominated by the Chairman if the Chairman or the member mentioned in sub-clauses (a), sub-clauses (b) and sub-clauses (c) above does not belong to other backward classes. If the Chairman or the member mentioned in sub-clauses (a), sub-clauses (b) and sub-clauses (c) above belongs to other backward classes then one such person shall be nominated who does not belong to other backward classes, or the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;	Member

Amendment of rule 9

3- In the said rules, for rule-9 set out in Column I below the rule as set out in Column II shall be substituted, namely:-

Column-I Existing rule	Column-II Rule as hereby substituted
9- **Age limits**- A candidate for direct recruitment to posts of different cadres in the Secretariat must not on the first day of July of the year in which the post is advertised, be less than the minimum or more than the maximum age given below:	9- **Age limits**- A candidate for direct recruitment to posts of different cadres in the Secretariat must not on the first day of July of the year in which the post is advertised, be less than the minimum or more than the maximum age given below:
Minimum Maximum (1)Principal Secretary 35 52 (2) Marshal 30 45 (3) Reporter 22 35 (4) Personal Assistant 21 30 (5) Upper Division Ass. 21 27	Minimum Maximum (1)Principal Secretary 35 55 (2) Marshal 30 45 (3) Reporter 22 35 (4) Personal Assistant 21 30 (5) Upper Division Ass. 21 27

(6) Lower Division Ass. 21 27 (7) Typist 18 27 (8) Motor driver 18 40 (9) Other staff of class iv 18 30 Provided that if candidate is entitled under the rules on the basis of his age and other qualification to appear at an examination or selection in any year, but no such examination or selection is held in that year, he shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear at the next following examination or selection: Provided further that the Chairman may relax the maximum age limit in favour of any candidates or class of candidates, if he considers it necessary, in the interest of fair dealing or in the public interest: Provided also that the commission shall be consulted before the relaxation of any rule in respect of those posts the the recruitment to which is to be made through the commission. Note- the prescribed maximum age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be greater by 5 years.	(6) Lower Division Ass. 21 27 (7) Typist 18 27 (8) Motor driver 18 40 (9) Other staff of class iv 18 30 Provided that if candidate is entitled under the rules on the basis of his age and other qualification to appear at an examination or selection in any year, but no such examination or selection is held in that year, he shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear at the next following examination or selection: Provided further that the Chairman may relax the maximum age limit in favour of any candidate or class of candidates, if he considers it necessary, in the interest of fair dealing or in the public interest: Provided also that if a retired person is considered for selection for the post of Principal Secretary, the maximum age limit of 55 years shall not be applicable. Note- the prescribed maximum age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be greater by 5 years.

Amendment of rule 9-A 4-

After rule 9 a new rule 9-A shall be inserted namely;
9-A- The superannuation of the Principal Secretary shall be the same as prescribed by State Government from time to time. Provided that if any retired officer is appointed on the post of Principal Secretary, he will continue to hold the post till he attains the age of sixty-five years or for a period of five years of service whichever is earlier.

Tenure

Amendment of rule 10 5- (a) In the said rules in rule 10 for sub-rule (1) set out in column I below the sub-rule as set out in column II shall be substituted, namely:-

Column-I Existing sub-rule.	Column-II Sub-rule as hereby substituted.
(1) Principal Secretary- A degree in law of any university established by law in India and practical experience as an Advocate or Pleader or of Service in the State Judicial Service or Higher Judicial Service or of working in the Secretariats of the Parliament or of any State Legislature or in Law Department of the Union or any State Government for a minimum period of 10 year. Preference shall be given to those possessing practical experience of	**(1) Principal Secretary-** A degree in law of any university established by law in India and officer of the Higher Judicial Service whether serving or retired or having working experience of minimum 10 years as an Advocate or officer in the Secretariats of the Parliament or of any State Legislature or in Law Department of the Union or any State Government. Preference shall be given to those who have practical experience of working in law and legislative department

parliamentary affairs and legislative procedure.	or parliamentary affairs department in the Government of Uttar Pradesh or who have working experience of parliamentary affairs.

In the said rules for Appendix-I set out in schedule-A below the Appendix as set out in schedule-B shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-A

Existing Appendix

Appendix-I

(see rule 3(3) and 30)

Name of post	Scale of pay	Number of post	Remarks
1	2	3	4
*Secretary, Legislative Council	Rs. 1000-50-1350-75-1950-50-2000	1	Temporary

SCHEDULE-B

Appendix as here by substituted

Appendix-I

(see rule 3(3) and 30)

Gazetted Officers

S.L No	Name of Post	No of Posts			Scale of Pay	
		Permanent	Temporary	Total	Pay Matrix Level	Pay
1	2	3	4	5	6	7
1	Principal Secretary	1	-	1	15	182200-224100

By Order,

(Kaushlendra Yadav)
Special Secretary.

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग–1

संख्या– 979/90-सं०-2018-38सं०-2003

लखनऊ, दिनांक 26 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के परामर्श से, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन

2- (क) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 में नियम 6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

(1–क)

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड	
(1)प्रमुख सचिव–आयोग के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा।	**(1)प्रमुख सचिव**–सभापति द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, प्रतिबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती के लिये पात्र और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो उस पद को नियम 10 में उल्लिखित शैक्षिक तथा अन्य अर्हता धारित करने वाले व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी।	
	समिति निम्नवत् होगी:–	
	(क) सभापति विधान परिषद्	अध्यक्ष
	(ख) संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
	(ग) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त उप	सदस्य

	खण्ड (क) और उप खण्ड (ख) में उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो तो सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई एक व्यक्ति। यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त उप खण्ड (क) और उप खण्ड (ख) में उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो सभापति द्वारा एक ऐसा व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो,	
	(घ) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त उप खण्ड (क), उप खण्ड (ख) और उप खण्ड (ग) में उल्लिखित सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों का न हो, तो सभापति द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्गों का होगा। यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त उप खण्ड (क), उप खण्ड (ख) और उप खण्ड (ग) में उल्लिखित सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो एक ऐसा व्यक्ति नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो,	सदस्य

नियम 9 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 9 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
9–आयु सीमा– सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये, जिस वर्ष पद विज्ञापित हो, उस वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन, अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम आयु से कम अथवा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होगा–	**9–आयु सीमा–** सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये, जिस वर्ष पद विज्ञापित किया जाय, उस वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को, अभ्यर्थी नीचे दिये गये न्यूनतम आयु से कम अथवा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होगा–

	न्यूनतम	अधिकतम
(1) प्रमुख सचिव	35	52
(2) मार्शल	30	45
(3) वृत्त लेखक	22	35
(4) वैयक्तिक सहायक	21	30
(5) प्रवर वर्ग सहायक	21	27
(6) अवर वर्ग सहायक	21	27
(7) टंकक	18	27
(8) मोटर ड्राइवर	18	40
(9) वर्ग 4 के अन्य कर्मचारी	18	30

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु तथा अन्य अर्हताओं के आधार पर नियमों के अन्तर्गत किसी वर्ष परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का अधिकारी हो किन्तु उस वर्ष ऐसी परीक्षा या चयन न हो तो वह अपनी आयु के संबंध में आगामी दूसरी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का अधिकारी समझा जायेगाः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति न्यायोचित व्यवहार के हित में अथवा जनहित में आवश्यक समझें तो किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैंः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से होनी है उनके संबंध में नियम शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

टिप्पणी– अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष अधिक होगी।

	न्यूनतम	अधिकतम
(1) प्रमुख सचिव	35	55
(2) मार्शल	30	45
(3) वृत्त लेखक	22	35
(4) वैयक्तिक सहायक	21	30
(5) प्रवर वर्ग सहायक	21	27
(6) अवर वर्ग सहायक	21	27
(7) टंकक	18	27
(8) मोटर ड्राइवर	18	40
(9) श्रेणी 4 के अन्य कर्मचारी वृंद	18	30

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभ्यर्थी अपनी आयु तथा अन्य अर्हताओं के आधार पर नियमावली के अधीन किसी वर्ष परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का हकदार हो किन्तु उस वर्ष ऐसी परीक्षा या चयन न हो तो वह अपनी आयु के संबंध में आगामी अनुवर्ती परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का हकदार समझा जायेगाः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति न्यायोचित व्यवहार के हित में अथवा जनहित में आवश्यक समझें तो किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैंः

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि प्रमुख सचिव के पद के लिये चयन हेतु किसी सेवानिवृत व्यक्ति पर विचार किया जाता है तो 55 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

टिप्पणी– अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में विहित अधिकतम सीमा पांच वर्ष अधिक होगी।

नियम 9–क का संशोधन

4- नियम–9 के पश्चात नया नियम 9–क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

पदावधि

9–क प्रमुख सचिव की अधिवर्षता वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सेवानिवृत अधिकारी प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अथवा पांच वर्ष की सेवा अवधि के लिये जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा।

नियम 10 का संशोधन

5- उक्त नियमावली में नियम 10 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(क)

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) प्रमुख सचिव– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की विधि के स्नातक की उपाधि, एडवोकेट या प्लीडर के नाते जुडिशियल सर्विस में सेवा का अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के सचिवालय या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव/संसदीय कार्य एवं विधायी प्रकिया का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।	(1) प्रमुख सचिव– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की विधि की स्नातक उपाधि तथा उच्चतर न्यायिक सेवा का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा अधिवक्ता के रूप में अथवा संसद अथवा किसी राज्य विधान मण्डल के सचिवालय अथवा संघ अथवा किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में अधिकारी के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। उन व्यक्तियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय एवं विधायी विभाग या संसदीय कार्य विभाग में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव रखते हों अथवा जो संसदीय कार्य करने का अनुभव रखते हों।

परिशिष्ट–1 का संशोधन

6- उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची–क में दी गयी परिशिष्ट–1 के स्थान पर अनुसूची–ख में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात्:–

अनुसूची–क

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

(नियम–3(3) तथा 30 देखें)

पदनाम	वेतनमान(रूपये)	पदों की संख्या	रिमार्कस
1	2	3	4
* सचिव विधान परिषद्	1000–50–1350–75–1950–50–2000	1	अस्थायी

अनुसूची—ख

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट—1

(नियम—3(3)तथा 30 देखें)

राजपत्रित अधिकारी

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रमुख सचिव	1	—	1	15	182200—224100

आज्ञा से,

(कौशलेन्द्र यादव)
विशेष सचिव